न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 667 / 2025

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. मांगीलाल पिता किशोर जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. कमला पत्नी लक्ष्मीलाल जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. रामेश्वर पिता लक्ष्मीलाल जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— वादीगण

बनाम

1. गुलाबी पिता गणेश जाति ब्राहम्ण (सुखवाल) आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. देवीलाल पिता माधु लाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. भगवानलाल पिता किशोर जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. मैनेजर, आईसीआईसीआई बैंक शाखा भादसोडा तहसील भादसोडा जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 24.03.2026

–:निर्णयः–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा मुंगाना की आराजी नम्बर 1054 जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 08/02/1974 को खरीदी और कब्जा मेरे दादा व परिवार को सिपुर्द कर दिया किन्तु राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 1054 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज है जो गलत है आराजी मेरे पिताजी ने खरीद की प्रतिवादीगण संख्या 3 आवश्यक पक्षकार है हम किशोर के वारिस है जिससे रेवेन्यु रेकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हटाया जाकर किशोर के वारिसान के नाम पर दर्ज की जावें आराजी नम्बर 1054 के वर्तमान आराजी नम्बर है। साथ ही पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया।

यह कि वर्तमान जमाबन्दी में हमारा नाम दर्ज न होने से पटवारी हल्का से सम्पर्क किया विक्रयपत्र के आधार पर दिनांक 10/11/2022 को इन्तकाल खोलने के एवं तत्पश्चात निरन्तर पैदा हो रहा है।

यह कि आराजीयात पर कब्जा वादीगण व उसके परिवार का है काश्त कर रहे है किशोर के पुत्र लक्ष्मीनारायण की मृत्यु हो चुकी है जिससे उनकी पत्नी व पुत्र वारिसान है जिससे वादीगण बनाये है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

अतः निवेदन है कि मौजा मुंगाना की आराजी नम्बर 1411 मीन वादीगण के नाम पर दर्ज की जाने की डिक्री प्रदान की जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 व 4 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 25.02.2025 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पूर्व में जवाब इकबालिया प्रस्तुत। वादपत्र में वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण ने आराजी नं0 1054 रकबा 10 बिस्वा में से 4 बिस्वा जमीन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की जिसके नये नम्बर आराजी नम्बर 1411 मीन, 1412 मीन, 1413 बने है जिसका कुल क्षेत्रफल 0.06 हैक्ट0 बना है उक्त में से 4 बिस्वा जमीन वादीगण के नाम पर दर्ज की जावें। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित वादपत्र लिया गया। साक्ष्यवादी में वादी रामेश्वर का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। पत्रावली पर दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो प्रदर्श–1 ए, 2 व 3 है।

बहस वकील वादी सुनी गई। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक आराजी संख्या 1054 रकबा 10 बिस्वा से आराजी संख्या 1411, 1412, 1413 बने है। दस्तावेज प्रदर्श–1ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के पिता द्वारा साबिक आराजी संख्या 1054 में से 4 बिस्वा भूमि क्रय की गई। अतः प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना के आराजी संख्या 1411 मीन रकबा 0.02 हैक्ट0 पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बजाय वादी संख्या 1 हिस्सा 1/3, वादी संख्या 2 व 3 हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या 4 हिस्सा 1/3 व आराजी संख्या 1412 मीन रकबा 0.01 हैक्ट0 व आराजी संख्या 1413 रकबा 0.03 हैक्ट0 में वादी संख्या 1 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 2 व 3 हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 4 हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष बदस्तुर रहे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन